न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–248/16(आरसीएमसी नं. 2016/00146)

1. चन्दा पुत्र. दुर्गा,
2. सुरज्ञानी पुत्र दुर्गा,
3. रामकिशन पुत्र दुर्गा,
4. रामराय पुत्र दुर्गा,
5. राजू पुत्र दुर्गा, जातियान मीना, निवासी राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. छोट्या पुत्र बालू,
2. राधाकिशन पुत्र स्व. गंगाधर,
3. कालू पुत्र स्व. गंगाधर,
4. कमलेश पुत्र स्व. गंगाधर,
5. महावीर पुत्र स्व. गंगाधर,
6. तीजा पत्नी स्व. श्री गंगाधर, जातियान मीना निवासी राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––प्रत्यर्थीगण

8. कमलेश पुत्र चौथू, जाति मीना, जाति मीना, निवासी राम्यावाला, तहसील जमावरामगढ, जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 31.01.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 09.06.2016 (प्रकरण संख्या 105/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ जयपुर में अपीलान्ट की कृषि भूमि जिसका साबिक खसरा 133 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 189 है, वह साबिक खसरा नम्बर 132 तथा नया खसरा नम्बर 188 है इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण का साबिक खसरा नम्बर 126 जिसका नया खसरा नम्बर 181 रकबा 2 हैक्टयर है जो कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पुराना खसरा नम्बर 129 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है जिसका नया खसरा नम्बर 184 है दौराने सैटलमेन्ट कार्यवाही साबिक राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण रिति से नये राजस्व नक्शे में फेरबदल करते हुये क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया जिसके कारण से पक्षकारों के मध्य भूमि क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। उन्होने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कथन किया है कि नये राजस्व नक्शे के दौरान अपीलान्ट की भूमि को कम कर दिया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की भूमि का नक्शा बढा दिया गया जबकि उक्त प्रकार का कार्य लिपिकीय गलती से हुआ है जो कि मौके की स्थिति के अनुसार गलत है, नये राजस्व नक्शे के गलत बन जाने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गयी जिस कारण अपीलान्ट की भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण करने को उतारू हो गये जिस बाबत पक्षकारों के मध्य में विवाद उत्पन्न हुआ जबकि पूर्व में बनाये गये राजस्व नक्शों के हिसाब से अपीलान्ट अपनी उसी भूमि पर काबिज है जबकि सैटलमेन्ट के दौरान बनाये गये नक्शों से विवाद उत्पन्न हो गया है। उन्होने कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपीलान्ट के मूल प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि ''यह कि अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि को पुराने नक्शे के आधार पर भी प्राप्त करने के लिये हमेशा तत्पर है।'' उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निस्तारण करते हुये यह मत जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र में कोई ऐसा ईश्यू नही है जो तय किया जावें एवं ऐसा भी कोई ईश्यू नही जिससे प्रार्थी का हित प्रभावित हो रहा हो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के किये हुये इन अभिवचनों पर ध्यान नही देकर भारी भूल कारित की है कि अपीलान्ट के साबिक खसरा नम्बर पर वह वर्षो से काबिज है तथा जिनका वह उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु नये राजस्व नक्शों में वास्तिविक स्थिति से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण नये राजस्व नक्शे बन जाने से पक्षकारों के मध्य भूमि क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय का यह मत जाहिर किया जाना कोई ईश्यू नही है अपने–आप मे अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 09.06.2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार अपीलान्ट की भूमि साबिक खसरा नम्बर 133 के राजस्व नक्शें के मुताबिक ही हाल नवीन खसरा नम्बर 189 का नवीन राजस्व नक्शा तरमीम कर पूर्ववत पुनः तरमीम करने के आदेश देकर विवादित भूमि नवीन खसरा नम्बर 181, 189, 184 के नवीन नक्शों को दुरूस्त कर साबिक नक्शानुसार दुरूस्तीकरण करने के आदेश तहसीलदार जमवारागढ/उप तहसीलदार ऑधी जयपुर को दिये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है तथा

P.T.O.

उन्हे सुनवाई का अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि पत्रावली में दिनांक 02.05.16 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.16 नियत की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.16 को ही उभयपक्ष को उपस्थित बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर उपलब्ध नही है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार की भी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.16 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट ली जाकर व उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।